सड़क सुरक्षा एवं यातायात

मार्गदर्शिका

परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश

आज के समय में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या काफी बढ़ गयी है और इस समस्या का कोई एक कारण नहीं है वास्तव में ऐसे कई कारण है जो सड़क दुर्घटनाओं को बढ़ावा देने का कार्य करते है जैसे–यातायात नियमों की जानकारी ना होना, सड़कों की स्थिति ठीक ना होना, वाहन चलाते समय सुरक्षा सावधानियां ना बरतना आदि। हमारे देश में दिन–प्रतिदिन बढ़ती वाहनों की संख्या को देखते हुए अब यह अधिक आवश्यक हो चुका है कि हम सड़क सुरक्षा से जुड़े मामलों को अनिवार्य रूप से अपनायें क्योंकि मात्र इसी के द्वारा ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सकती है।

सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित कुछ तथ्य–

- उत्तर प्रदेश में 3.50 लाख (तीन करोड़ पचास लाख) वाहन हैं जिसमें दो पहिया 2.90 करोड़ अर्थात 82 प्रतिशत है।
- दो पहिया वाहनों की संख्या अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में है तथा सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक लगभग 29 प्रतिशत दो पहिया वाहनों से सड़क दुर्घटनाऐं होती हैं।
- सड़क दुर्घटना के आकड़ों के अनुसार मरने वालों में सर्वाधिक 18–35 वर्ष के युवा होते हैं। जो वर्ष 2018 में सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या में लगभग 46.06 प्रतिशत हैं।
- दो पहिया वाहन चालकों द्वारा हेल्मेट न लगाने के कारण अधिकांश दुर्घटनाओं में सिर में चोट लगने के कारण दुर्घटना स्थल पर ही गंभीर स्थिति में मृत्यु हो जाती है।

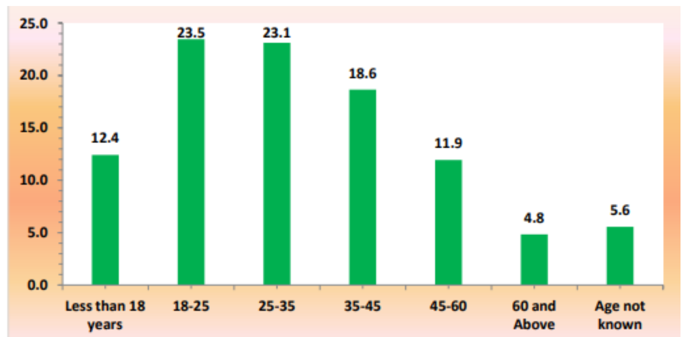

उम्रवार मृत्यु का आंकड़ा

सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण–

- मानवीय भूल जिसके अन्तर्गत प्रमुख है–
  - ✓ ओवर स्पीड़िंग दुर्घटनाओं के घटित होने का सबसे बड़ा कारण है।
  - ✓ गलत साइड पर ड्राइविंग करना
  - ✓ गलत ओवर टेकिंग करना व लेन कटिंग
  - ✓ गलत लेन में वाहन चलाना
  - ✓ बार–बार लेन बदलना

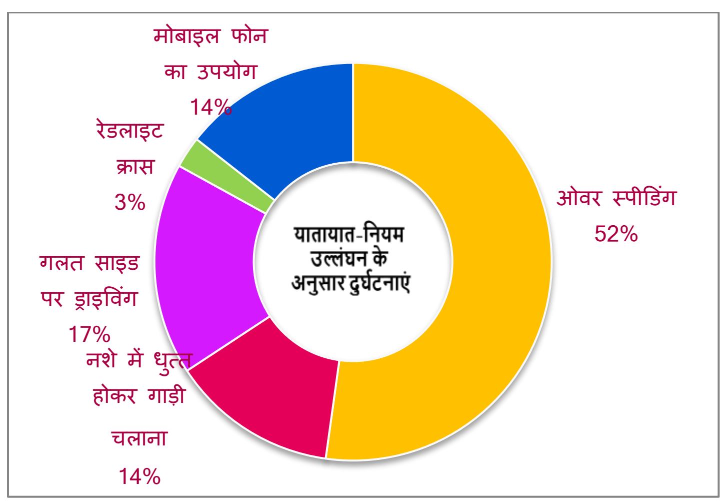

- नशे में वाहन चलाना– शराब या अन्य नशीलें पदार्थ के प्रभाव में वाहन चलाना बेहद खतरनाक तथा यह दण्डनीय अपराध भी है।

- मोबाइल फोन का उपयोग– वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना, मैसेज पढ़ना या टाइप करना, हेड–फोन लगाकर अथवा तेज ध्वनि में संगीत सुनना।
- यातायात नियमों की अनदेखी– लाल बत्ती/जेब्रा क्रसिंग जम्प करना, वन–वे मार्ग पर गलत दिशा पर वाहन चलाना एवं बाये से ओवर–टेक करना तथा अंधे मोड़ पर वाहन की गति न कम करना।
- सुरक्षा साधनों सीट बेल्ट हेल्मेट का उपयोग न करना–सुरक्षा साधनों जैसे दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेल्मेट का प्रयोग न किया जाना जिसके कारण 29 प्रतिशत मृत्यु हो जाती है तथा चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का उपयोग न करने से 16 प्रतिशत मृत्यु हो जाती है।
- कोहरे एवं बारिश के मौसम में सावधानी बरतना– कोहरे के मौसम में फॉग लाइट, मुड़ते समय इंडीकेटर का प्रयोग न करना तथा बरसात के मौसम में वाईपर का प्रयोग करना।

पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षा के नियम–

- पैदल यात्रियों को सड़क पर आते समय पूरा ध्यान सड़क व आने–जाने वाले ट्रैफिक पर होना चाहिए।
- पैदल यात्रियों को फुटपाथ का ही प्रयोग करना चाहिए तथा जहाँ फुटपाथ उपलब्ध न हो वहाँ सड़क के दायी ओंर (वाहनों की विपरीत दिशा) में चले।
- मोबाइल फोन पर बात करते हुये एवं इयर फोन का इस्तेमाल करते हुये सड़क पार नही करना चाहिये।
- सड़क पार करते समय जेब्रा क्रासिंग का प्रयोग करना चाहिए।

साइकिल चालकों के लिए सुरक्षा–

पैदल यात्रियों के बाद साइकिल चालक दूसरे सर्वाधिक असुरक्षित सड़क उपयोग करता है।

- साइकिल चलाते समय सड़क के बायी ओर चले तथा सइकिल लेन का प्रयोग करें।
- साइकिल के आगे व पीछे लाइट या रिफ्लेक्टर अवश्य लगाऐं।
- साइकिल पर एक से अधिक सवार नही होना चाहिए।
- सांयकाल या रात्रि के समय सफेद रंग या चटख रंग के कपड़े पहनने चाहिए।
- साइकिल चलाते समय साइकिल हेल्मेट का प्रयोग करें।
- साइकिल चलाते समय दायें अथवा बायें मुड़ने से पहले हाथ से मुड़ने का इशारा करना चाहिए।

ट्रैक्टर–ट्रॉली चालकों के लिए सुरक्षा–

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर कृषि कार्य तथा जुताई हेतु ट्रेक्टर–ट्रॉली का उपयोग होता है। ट्रॉली के पीछे व साइड में रैट्रो रिफ्लेक्टिव टेप (चमकीला टेप) न लगे होने के कारण पीछे से आने वाले अधिकांश वाहन सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रेक्टर–ट्रॉली में बैक लाइट (पीछे की लाइट) के साथ–साथ रैट्रो रिफलेक्टिव टेप (चमकीला टेप) अवश्य लगायें।

लेन ड्राइविंग सुरक्षित ड्राइविंग–

- चालक को अपने वाहन के लिए निर्धारित लेन में ही अपने वाहन चलाना चाहिए तथा उपयुक्त संकेतक देकर ही लेन बदलना चाहिये।

- किसी लेन को विशेष प्रकार के वाहनों की श्रेणी के लिए चिहि्न्त किये जाने की दशा में उस लेन में उसी वर्ग के वाहन को चलाया जाना चाहिये। इस विशेष प्रकार के वाहन को अन्य किसी लेन में अथवा किसी अन्य वर्ग के वाहन को इस लेन में चलाया जाना अनुमन्य नहीं है।

- जहाँ किसी सड़क को ठोस पीली रेख/सफेद रेखा से विभाजित किया गया है, उस सड़क पर चालक ओवरटेक करते समय इस ठोस पीली रेखा/सफेद रेखा को पार नहीं करेगा।

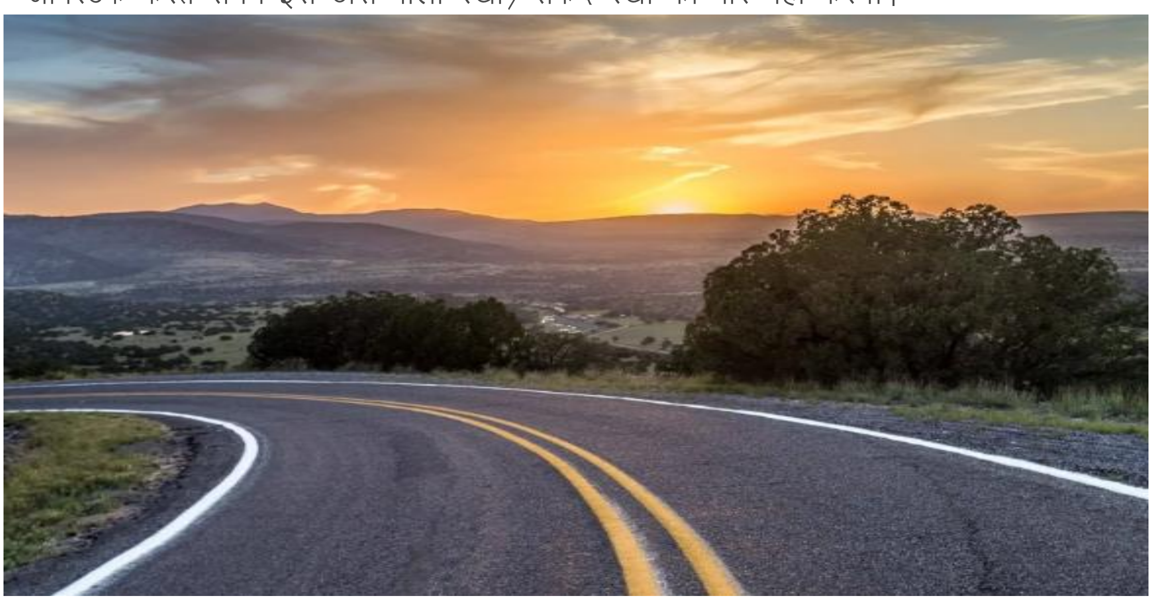

- ऐसी सड़क पर जहाँ ठोस रेखा के साथ एक खण्डित रेखा भी है, चालक वाहन चलाते समय उस खण्डित रेखा को केवल ओवरटेक करते समय ही पार करेगा तथा ओवरटेक करने के तुरन्त बाद अपनी लेन में आ जायेगा।

- चौराहों पर पहुँचने के समय, जहाँ मुड़ने वाली पंक्तियां एकल ठोस पंक्ति के साथ चिन्हित हैं, चालक सुनिश्चित करेगा कि वाहन उसी दिशा में रहेंगे जिसके लिये निर्दिष्ट किया गया है।

स्कूली छात्र–छात्राओं का सुरक्षित परिवहन–

1– स्कूल प्रशासन की भूमिका व दायित्व–

- स्कूल के पास की सड़क पर सही मानदण्डों के अनुसार स्पीड़ ब्रेकर व जेब्रा क्रासिंग बनी हों।
- वाल वाहिनी ड्राइवर को वैध चालक लाइसेंस मै वैच के न्यूनतम 05 साल का अनुभव हो।
- ड्राइवर निर्धारित यूनीफार्म खाकी सर्ट एवं खाकी पैंट में हो तथा वाहन की फिटनेस वैध हो।
- स्कूल बस में छात्रों को उतरने व चढ़ाने में सहायता के लिये एक परिचालक हो।
- स्कूल में एक ट्रैफिक संयोजक एवं एक रोड सेफ्टी क्लब बना हो।
- स्कूल के पास गति सीमा 25 किलोमी0 का यातायात चिन्ह् का बोर्ड लगा हो।

2– छात्र–छात्राओं की भूमिका व दायित्व–

(अ) स्कूल बस से आने जाने में–

- बस के पूरी तरह रूकने के इन्तजार करें एवं चढ़ने के लिये भागे नहीं।
- वाहन चलाते समय वाहन चालक से बात न करें।
- बस के जाने के बाद ही रास्ता पार करें।
- कोई दुर्घटना या बस खराब होने पर चालक एवं परिचालक के निर्देशों का पालन करें।
- बस में से शरीर का कोई भी अंग बाहर न निकाले।
- बस में कोई भी अनजान या अवांछित वस्तु दिखने पर चालक को सूचित करें।

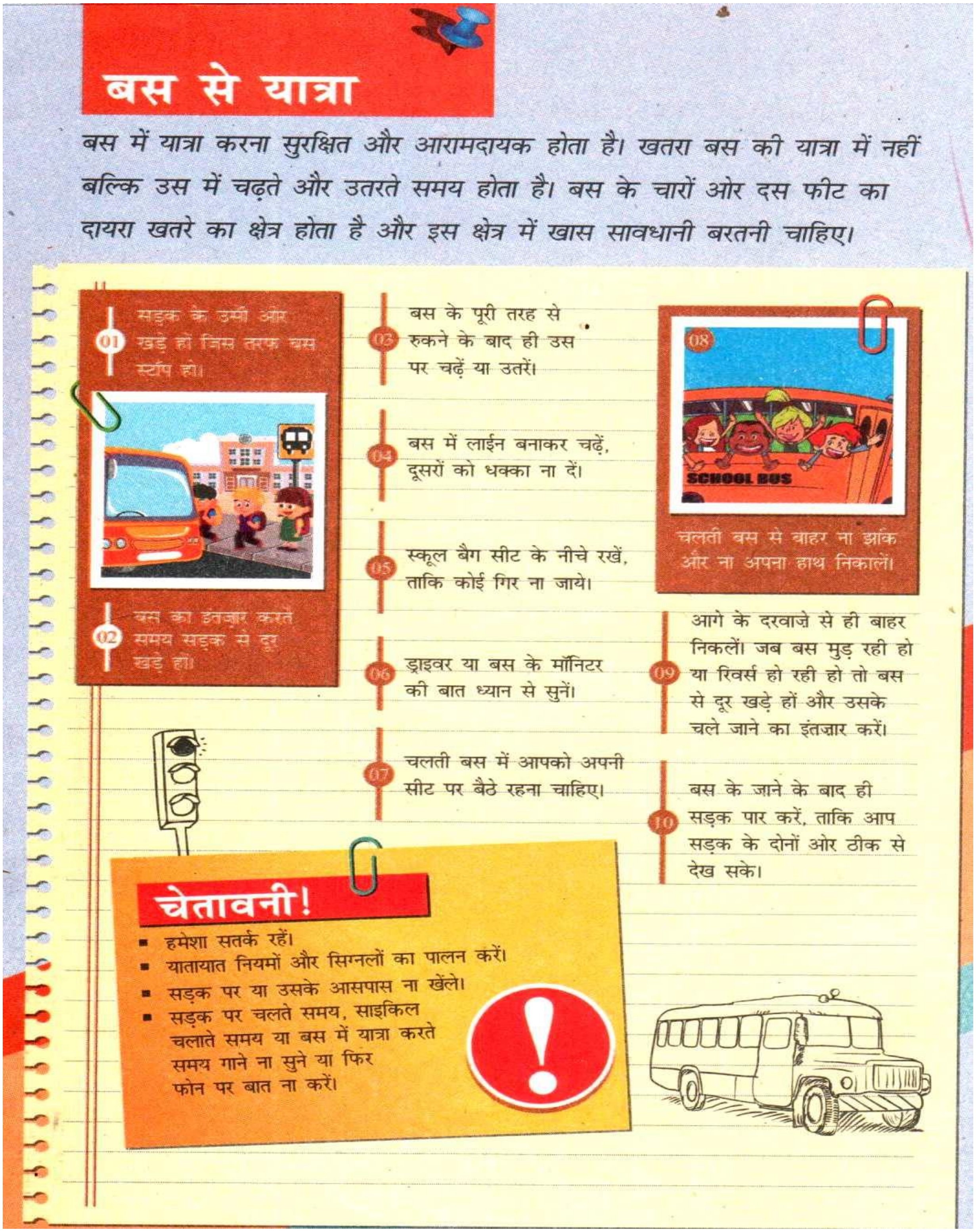

बस से यात्रा

बस में यात्रा करना सुरक्षित और आरामदायक होता है। खतरा बस की यात्रा में नहीं बल्कि उस में चढ़ते और उतरते समय होता है। बस के चारों ओर दस फीट का दायरा खतरे का क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र में खास सावधानी बरतनी चाहिए।

01 सड़क के उसी ओर खड़े हों जिस तरफ बस स्टॉप हो।

02 बस का इंतज़ार करते समय सड़क से दूर खड़े हो।

03 बस के पूरी तरह से रुकने के बाद ही उस पर चढ़ें या उतरें।

04 बस में लाईन बनाकर चढ़ें, दूसरों को धक्का ना दें।

05 स्कूल बैग सीट के नीचे रखें, ताकि कोई गिर ना जाये।

06 ड्राइवर या बस के मॉनिटर की बात ध्यान से सुनें।

07 चलती बस में आपको अपनी सीट पर बैठे रहना चाहिए।

08 चलती बस से बाहर ना झांके और ना अपना हाथ निकालें।

09 आगे के दरवाज़े से ही बाहर निकलें। जब बस मुड़ रही हो या रिवर्स हो रही हो तो बस से दूर खड़े हों और उसके चले जाने का इंतज़ार करें।

10 बस के जाने के बाद ही सड़क पार करें, ताकि आप सड़क के दोनों ओर ठीक से देख सके।

चेतावनी!

- हमेशा सतर्क रहें।
- यातायात नियमों और सिग्नलों का पालन करें।
- सड़क पर या उसके आसपास ना खेंले।
- सड़क पर चलते समय, साइकिल चलाते समय या बस में यात्रा करते समय गाने ना सुने या फिर फोन पर बात ना करें।

(ब) दोपहिया वाहन पर आने जाने में–

- बिना लाइसेंस एवं निर्धारित से कम उम्र में वाहन चलाना कानूनन अपराध है।
- वाहन के रजिस्ट्रेशन, पीयूषी इंश्योरेंस आदि अपने पास अवश्य रखे।
- दोपहिया वाहन चलाते समय अच्छी क्वालिटी के आई0एस0आई0 मार्क के हेल्मेट का प्रयोग अवश्य करें एवं हेल्मेट के स्ट्रेप को कसके बांधे।

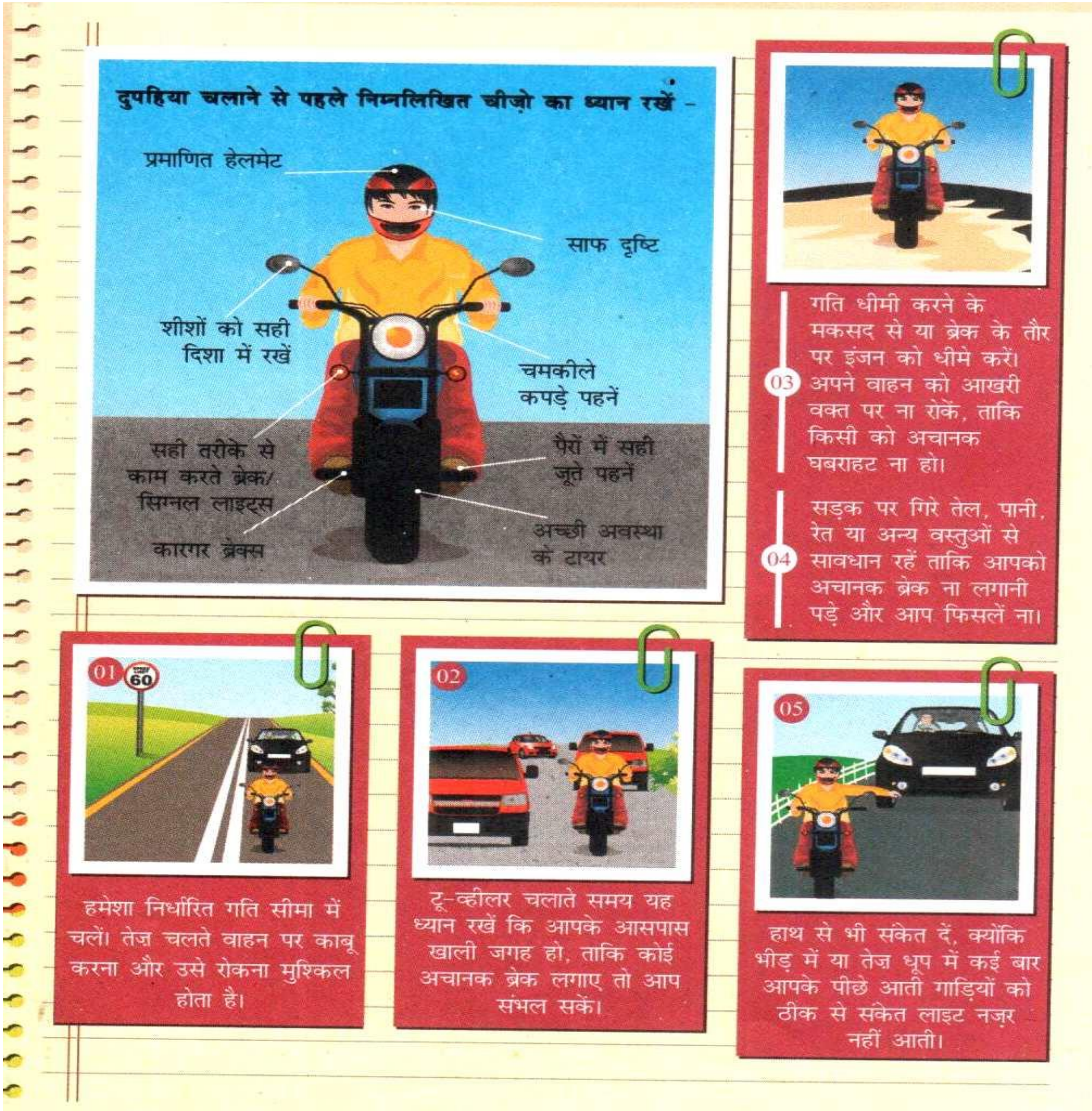

- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन/हेडफोन का इस्तेमाल न करें। वाहन तेज गति से न चलाये।
- लाल बत्ती का उल्लंघन न करें।

(स) साइकिल पर स्कूल आने जाने में–

- चलने से पहले पीछें, दायें व वायें अवश्य देखे।
- कभी भी दूसरे वाहन को पकड़कर या साथ चल रही साइकिल पर बैठें लोगों का हाथ पकड़ कर साइकिल न चलायें।
- साइकिल चलाने से पहले उसके ब्रेक एवं टायरों की जांच ठीक से कर लें।
- साइकिल चलाते समय कान मे ईयर फोन का प्रयोग न करें।
- यदि संभव हो तो साइकिल हेल्मेट पहने।

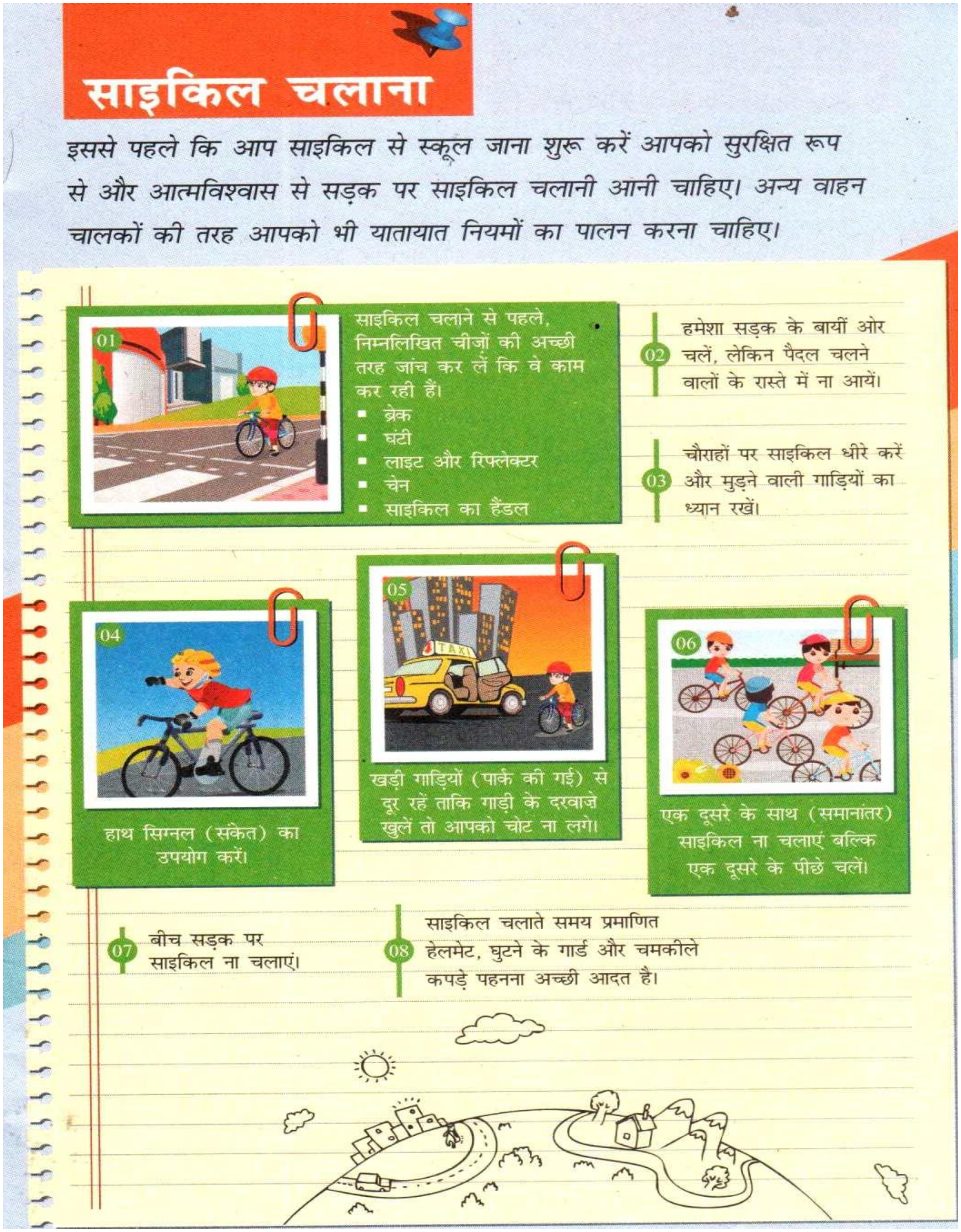

साइकिल चलाना

इससे पहले कि आप साइकिल से स्कूल जाना शुरू करें आपको सुरक्षित रूप से और आत्मविश्वास से सड़क पर साइकिल चलानी आनी चाहिए। अन्य वाहन चालकों की तरह आपको भी यातायात नियमों का पालन करना चाहिए।

01 साइकिल चलाने से पहले, निम्नलिखित चीज़ों की अच्छी तरह जांच कर लें कि वे काम कर रही हैं।

- ब्रेक
- घंटी
- लाइट और रिफ्लेक्टर
- चेन
- साइकिल का हैंडल

02 हमेशा सड़क के बायीं ओर चलें, लेकिन पैदल चलने वालों के रास्ते में ना आयें।

03 चौराहों पर साइकिल धीरे करें और मुड़ने वाली गाड़ियों का ध्यान रखें।

04 हाथ सिग्नल (संकेत) का उपयोग करें।

05 खड़ी गाड़ियों (पार्क की गई) से दूर रहें ताकि गाड़ी के दरवाज़े खुलें तो आपको चोट ना लगे।

06 एक दूसरे के साथ (समानांतर) साइकिल ना चलाएं बल्कि एक दूसरे के पीछे चलें।

07 बीच सड़क पर साइकिल ना चलाएं।

08 साइकिल चलाते समय प्रमाणित हेलमेट, घुटने के गार्ड और चमकीले कपड़े पहनना अच्छी आदत है।

(द) पैदल स्कूल आने जाने में–

- जहां सड़क पर फुटपाथ हो, वहां पर पैदल चलने वालों को बायीं ओर चलना चाहिए अन्यथा सड़क के दायीं ओर चलें।
- सड़क पार करते समय पहले दायें, फिर बायें और फिर दायें देख कर तय कर ले कि दोनो ओर से कोई वाहन न आ रहा हो।

- शहरों में चौराहों के पास जेब्रा क्रासिंग का प्रयोग करना चाहिए। चौराहों पर वाहन रूके हुए हो तभी सड़क पार करनी चाहें।

3– अभिभावकों की भूमिका व दायित्व–

- बच्चों को उचित स्थान से ही उतारें एवं चढ़ाये ।
- बच्चों को सिखाये कि बस से उतर कर सड़क कैसे पार करनी चाहिये।

- किसी भी तरह की समस्या होने पर स्कूल प्रशासन को सूचित करें ।
- बच्चों को समझाये कि लेट हो जाने पर एवं बस छूट जाने पर क्या करें।
- क्षमता से अधिक यात्री परिवहन करने वाले वाहन में बच्चों को न जाने दे।
- अभिभावक सड़क सुरक्षा क्लब की बैठक में बच्चों के सुरक्षित व्यवहार की समीक्षा का उचित निर्णय लें।

4– स्कूल बस चालक की भूमिका व दायित्व–

- वह समय का पाबंध हो।
- स्कूल बस को निर्धारित स्थान पर ही रोके।
- बस को हमेशा फिट रखे।
- बस के दरवाजे बच्चों को उतारने एवं चढ़ाने के उपरान्त हमेशा बंद रखें।

सड़क पर यातायात के चिन्ह–

एक कुशल चालक को सड़क पर सुरक्षित वाहन चलाने तथा अन्य सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिये सड़क व यातायात चिन्हों का समुचित ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है। सड़क चिन्ह् सड़क की भाषा है जो हमें गन्तव्य पर सुरक्षित पहुंचने में सहायक सिद्व होते है। ये निम्न प्रकार के होते है–

1–आदेशात्मक सड़क चिन्ह्– ये चिन्ह् गोल आकृति में ओर लाल बॉडर वाले होते है इनमें से कुछ नीले रंग के भी होते है। इन चिन्हों के उल्लंघन पर जुर्माने/दण्ड का भुगतान करना पड़ता है तथा अवहेलना की स्थिति में बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इनका पालन करना अनिवार्य होता है।

आदेशात्मक चिन्ह

रुकिये
रास्ता दीजिए
प्रवेश निषेध
दोनों दिशाओं में वाहन प्रवेश निषेध
एकतरफा रास्ता (वन-वे)
एकतरफा रास्ता (वन-वे)
ट्रक निषेध
बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी निषेध
सभी मोटर गाड़ीयाँ निषेध
ताँगा निषेध
हाथ गाड़ी निषेध
साइकिल निषेध
बैलगाड़ी निषेध
अनिवार्य बस स्टॉप
पदयात्री निषेध (पैदल चलने वाले)
ऑवरटेक करना निषेध
दाएँ मुड़ना निषेध
बाएँ मुड़ना निषेध
यू-टर्न (वापस मुड़ना) निषेध
हॉर्न (भोंपू) बजाना निषेध

2–सचेतक सड़क चिन्ह्– ये चिन्ह् त्रिकोणीय आकृति में और लाल बॉडर वाले होते है। ये चिन्ह् ड्राइवर को सड़क पर आगे आने वाले खतरों/ परिस्थितयों के बारे में चेतावनी देने के लिये होते है।

चेतावनी चिन्ह

दायां घुमाव (कर्व)

बायां घुमाव (कर्व)

दायां यू-नुमा घुमाव
(दायां हेयर पिन मोड़)

बायां यू-नुमा घुमाव
(बायां हेयर पिन मोड़)

दायां विपरीत मोड़
(रिवर्स बेन्ड)

बायां विपरीत मोड़
(रिवर्स बेन्ड)

खड़ी चढ़ाई

तेज ढलान

आगे सड़क संकरी है

आगे सड़क चौड़ी है

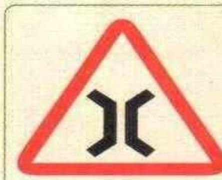
संकरा पुल

फिसलन वाली सड़क

बजरी - रोड़ी
वाली सड़क

साइकिल क्रॉसिंग

पैदल पार पथ

आगे स्कूल है

आदमी काम पर है

पशु/मवेशी

घाट/नाव

चट्टानों के गिरने
की संभावना

3–सूचनात्मक सड़क चिन्ह्–ये चिन्ह् आयताकार होते है तथा ये गन्तव्य की जानकारी तथा मार्ग पर स्थित जनसुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराते है। समान्यतः ये नीले रंग के होते है।

सूचनात्मक चिन्ह

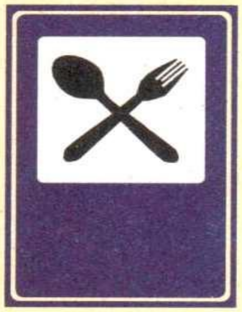

भोजनालय

सार्वजनिक दूरभाष

पेट्रोल पम्प

विश्राम स्थान

प्राथमिक चिकित्सा

अस्पताल

दूसरी ओर जाने
का रास्ता नहीं है

बगल से दूसरी ओर
जाने का रास्ता नहीं है

हल्का जलपान

ऑटो रिक्शा का
पार्किंग स्थल

साइकिल का
पार्किंग स्थल

स्कूटर और
मोटरसाइकिल का
पार्किंग स्थल

टैक्सियों का
पार्किंग स्थल

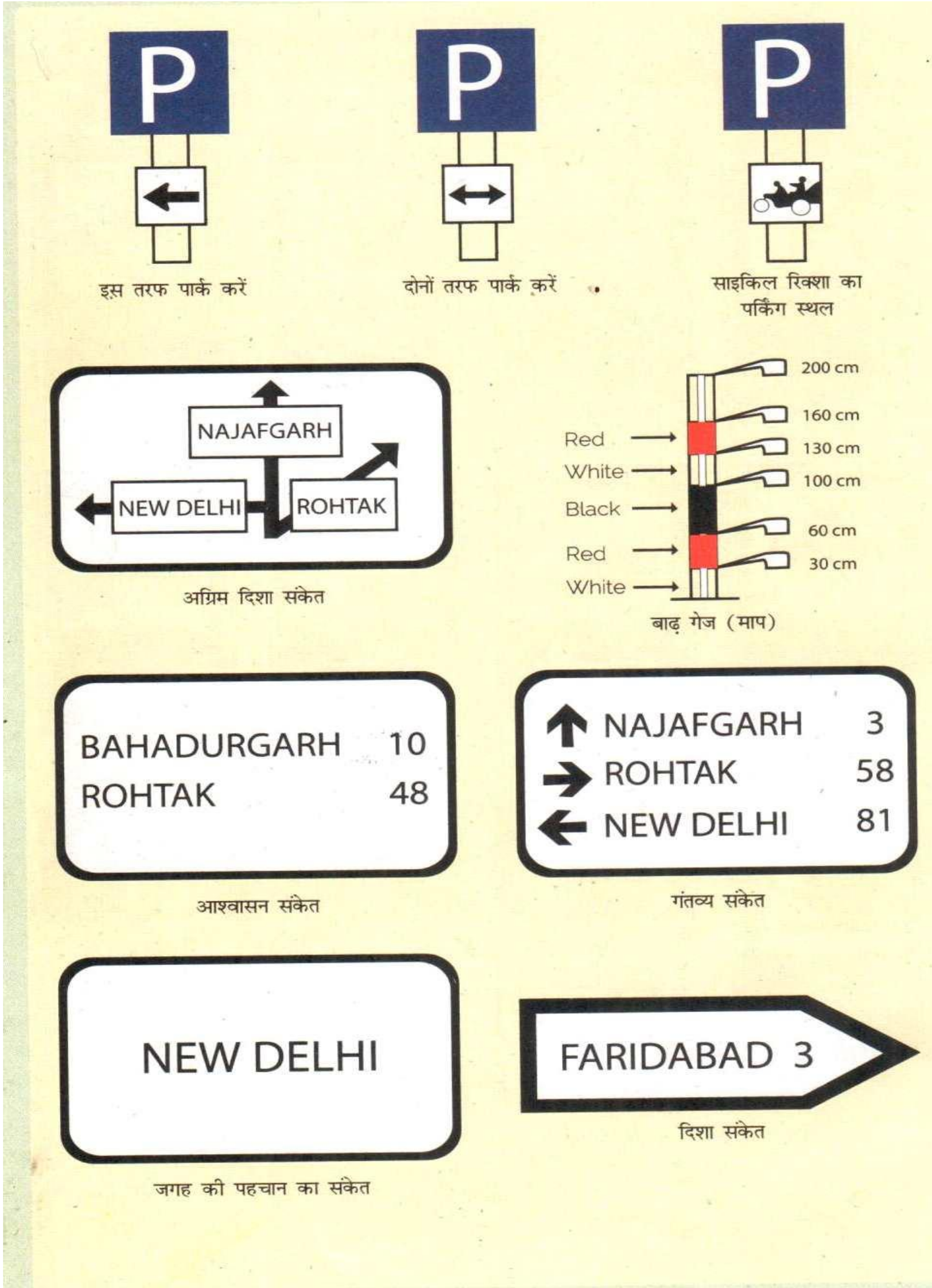

प्राथमिक चिकित्सा एवं सहायता–

दुर्घटना होने पर चिकित्सक या एम्बुलेंस के आने से पहले जो राहत कार्य या उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक सहायता कहते है। प्राथमिक सहायता का प्रमुख उद्देश्य दुर्घटना की वजह से लगी चोट के प्रभाव को बढ़ने से रोकना तथा घायल व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना है।

दुर्घटना होने के एक घंटे के भीतर का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसे ''गोल्डन ऑवर'' कहते है। यदि इस एक घंटे के भीतर घायल को चिकित्सीय सहायता प्राप्त हो जाती है तो उसकी जान बच जाने एवं शीघ्र स्वस्थ होने की संभावना काफी बढ़ जाती है।

प्राथमिक सहायता की प्रक्रिया एवं सी0पी0आर0–

- सर्वप्रथम दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से दूर ले जायें ताकि घायल एवं सहायता करने वाला व्यक्ति सुरक्षित रहे।
- घायल व्यक्ति को हिलाकर पूछें कि क्या वह ठीक है? यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे तो सहायता के लिये 108 (एम्बुलेंस) या 112 (पुलिस) नंम्बर पर सूचित करें।
- दुर्घटना स्थल का पूरा पता व घायलों की सही संख्या के बारे में सम्पूर्ण जानकारी दें।
- यदि कहीं से खून का बहाब हो रहा है तो घाव को साफ करें व कसकर पट्टी बाधें। सिर, गर्दन अथवा छाती से खून का बहाव रोकने के लिये कपड़े से दबाकर रखे।
- हड्डी टूटने क मामले में चोट ग्रस्त अंग पर लकड़ी बांध कर स्थिरता प्रदान करें।
- सिर पर चोट लगने की वजह से व्यक्ति यदि बेहोश हो जाये तो उसे रिकबरी पोजिशन (बांयी करवट) में लेटाये।
- कैरोटिड (गर्दन के पास) या रेडियल (कलाई के पास) नाड़ी (पल्स) चेक करें। यदि पल्स नहीं चल रही हो तो तुरन्त सी0पी0आर0 की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।
- सी0पी0आर0 की प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व घायल की गरदन अवश्य सीधी कर लें।
- सी0पी0आर0 के लिये छाती के बीचों बीच स्अर्नम हड्डी के ऊपर दोनो हथेली रखकर दबाव देना शुरू करें। छाती पर तीस बार दबाव दें और दो बार मुंह से मुंह में सांस दें।
- पल्स आने या चिकित्सीय सहायता के पहुंचने तक ये प्रक्रिया जारी रखें।

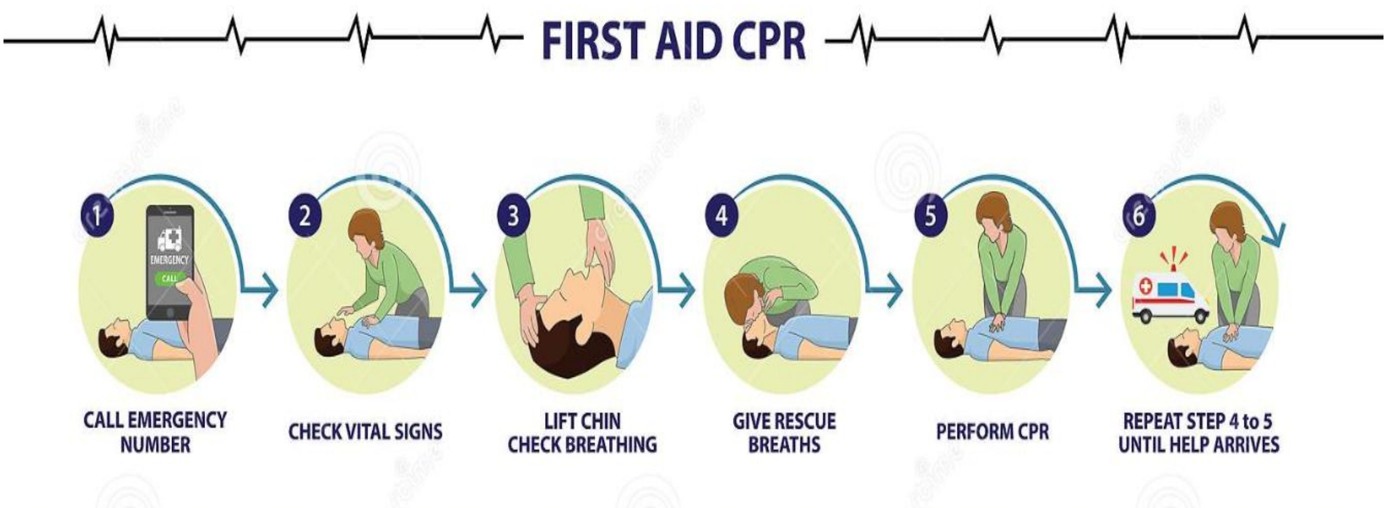

नेक आदमी (गुड सेमेरिटन)– नेक आदमी (गुड सेमेरिटन) वह व्यक्ति है जो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करता है, उसकी सूचना पुलिस व उसके संबंधी को देता है तथा उसे अस्पताल पहुँचाता है।

गुड सेमेरिटन के हितों की रक्षा करने के लिये उसे कानूनन निम्न अधिकार दिये गये हैः–

- उसे अपना नाम एवं व्यक्तिगत विवरण देने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा।
- उसे पीड़ित के उपचार के लिये धन जमा कराने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा।
- उसे पुलिस द्वारा न तो कोई पूंछताछ की जाएगी और नहीं उस पर कोई मुकदमा लिखा जाएगा।

चालक के कर्तव्य–

- हर समय पूरी देख–भाल एवं सावधानी के साथ वाहन चलायेगा।
- वाहन चलाने से पूर्व सुनिश्चित करेगा कि वह शारीरिक व मानसिक तौर पर वाहन चलाने के लिये पूर्णतः सक्षम है
- हर समय सड़क और यातायात पर अपनी पैनी नजर रखेगा।
- अपने वाहन वर्ग के लिये निर्धारित गति से अधिक तेज वाहन नहीं चलायेगा।
- वाहन में तेज संगीत नहीं बजायेगा।
- वाहन चलाते समय वीडियो या पिक्चर नहीं देखेगा तथा मोबाइल/हेड फोन का प्रयोग नहीं करेगा।
- शराब व नशीली दवाओं का सेवन करके वाहन नहीं चलायेगा।
- वाहन पर बैठते और उसमें से बाहर निकलते समय अपनी और वाहन की सवारियों की देखभाल करेगा।
- वाहन चलाते समय यदि कोई तकनीकी त्रुटि आ जाती है तो वाहन को सड़क से दूर सुरक्षित स्थान पर ले जायेगा।
- वाहन चलाते समय अन्य किसी व्यक्ति या वाहन को नहीं पकड़ेंगा, और ना हीं धक्का देगा।
- मोटर साइकिल या तिपहिया वाहन चालक हर समय अपने दोनो हाथों से हैंडिल पकड़कर रखेगा।
- ये सुनिश्चित करेंगा कि वह और वाहन के सभी यात्री उपलब्ध होने पर बेल्ट आवश्य बांधें।
- दोपहिया वाहन चालक स्वयं भी हेल्मेट लगायेगा एवं पीछे की सवारी को भी हेल्मेट लगाकर यात्रा करायेगा।
- पैदल चलने वालो, साइकिल चालकों, बच्चों, बुजुर्गों एवं शारीरिक रूप से बिकलांग व्यक्तियों की विशेष देखभाल करें।

समस्त यातायात नियमों का पालन करेगा।

चेतावनी!

शराब पी कर वाहन
ना चलाएं

तेज़ आवाज़ में गाने ना बजाएं
या हेडफोन लगाकर ना चलाएं

वाहन में ज़रूरत से ज़्यादा
सामान ना रखें

सड़क पर गुस्से का या आक्रमक
भाषा का प्रयोग ना करें।

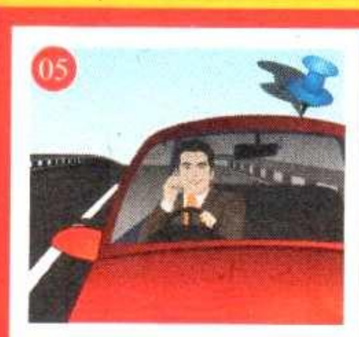

वाहन चलाते समय फोन
पर बात ना करें।

'मिरर ब्लाइन्ड स्पॉट' से बचें।
इस स्थान पर गाड़ियाँ, बाइक
आदि दिखाई नहीं देते हैं।

07 सड़क पर अचानक वाहन ना खड़ा करें। इससे दुर्घटना हो सकती है, जाम लगने से पीछे का यातायात धीरे हो सकता है और ईंधन की बर्बादी भी होती है।

सड़क सुरक्षा के 10 सुनहरे नियम

रूकें या गति धीमी करें ।

अनियंत्रित जेब्रा क्रासिंग पर पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें।
यह उनका हक है।

सीट बेल्ट बांधें

ताकि आप और आपका परिवार वाहन में सुरक्षित रहें।
सीट बेल्ट का प्रयोग टक्कर के प्रभाव को 80% तक घटाता है।

यातायात नियमों और चिन्हों का पालन करें

दुर्घटनाओं से बचें।

गति सीमा का पालन करें

अपनी और अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

वाहन को दुरुस्त रखें

सड़क पर परेशानी व दुर्घटना से बचें।

वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें

ताकि ध्यान भंग न हो और दुर्घटना से बचे रहें।

हेलमेट पहनें

दोपहिया वाहन सवार हेलमेट अवश्य पहनें। उच्च गुणवत्ता वाला हेलमेट
सर पर भारी चोटों की सम्भावना को 70% तक घटाता है।

वाहन कभी असुरक्षित ढंग से न चलायें

अपनी और अन्य सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

अनावश्यक हार्न न बजाएं

ध्वनि प्रदूषण में कमी से श्रवण ह्रास
एवं मानसिक तनाव में कमी होगी

शराब और वाहन का मेल सही नहीं

जिम्मेदार बनें .... शराब पीकर वाहन न चलायें।

सड़क सुरक्षा की शपथ–

- मैं कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाऊँगा/चलाऊँगी।
- मैं हमेशा दोपहिया वाहन चलाते समय हेल्मेट का तथा कार/जीप चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करूगाँ/करूँगी।
- मैं हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के अन्य सभी प्रपत्र साथ रखूँगा/रखूँगी।
- मैं कभी भी वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात नहीं करूगाँ/करूँगी। मैं सड़क के सिग्नलों का पालन करूगाँ/करूँगी।
- मैं कभी भी तेज गति से वाहन नहीं चलाऊँगा/चलाऊँगी।
- मैं हमेशा एम्बुलेंस एवं अग्निशमन वाहन को आगे जाने के लिये तुरन्त साइड दूंगा/दूंगी।
- मैं कभी भी सड़क की गलत साइड से ओवर टेकिंग नहीं करूगाँ/करूँगी।
- मैं आंखों की नियमित रूप से जांच कराता रहूंगा/रहूंगी।
- मैं लेन के अनुशासन का पालन करूगाँ/करूँगी।
- मैं वाहन की नियमित जांच तथा सर्विस कराऊँगा ताकि वह पर्यावरण को प्रदूषित न करें।
- मैं सड़क सुरक्षा और यातायात के सभी नियमों का पालन करूगाँ/करूँगी।

सड़क सुरक्षा/यातायात एवं चिकित्सा संबंधी वीडियो के कुछ लिंक–

1–सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता–

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2672994192732985&id=100000672926348

2–सी0पी0आर0 देने की विधि–

https://www.youtube.com/watch?v=DMi7hujGeSY&feature=youtu.be

3– फर्स्ट ऐड टिप्स–

https://www.youtube.com/watch?v=uOlDdba0jxA&feature=youtu.be

4– सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के नियम–

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3292503947448670&id=100000672926348

————————————————————